

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बक्सर
जिला- बक्सर (बिहार)

T.S. case No.- 11/2002, CIS No.- 89/2014

श्रीमती देवन्ती देवी
बनाम्
गोपाल प्रसाद जयसवाल

16.01.2023— वाद बार बार पुकार कराया गया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है न ही कोई पैरवी दाखिल की गई है। लगभग पिछले छ माह से वादी की तरफ से कोई पैरवी दाखिल नहीं की जा रही है। ऐसा लगता है कि वादी का अब इस वाद को चलाने में कोई रुचि नहीं है। अतः वादी का वाद अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि बाद पूर्ति आवश्यक अपेक्षिकायें पत्रावली को दफतर दाखिल करें।

(लेखापित)

हस्ताक्षर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय—
—सह— विशेष न्यायाधीश एम0पी0/एम0एल0ए0
बक्सर।